राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(12)एम.ई. / ग्रुप–1 / 96 जयपुर, दिनांकः 6/9/17

–: : आदेश : :–

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(95)डीएमई / 16 दिनांक 15.02.2017 के द्वारा डॉ0 प्रीति पाठक मेरिट सं. 10 सामान्य / महिला की नियुक्ति अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन पीरीयड पर वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी, मेडिकल कॉलेज, कोटा में वेतन श्रृंखला 15600–39100 में वित्त(नियम) विभाग की अधिसूचना एफ. 1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180 /– प्रतिमाह की दर पर की गई थी।

डॉ0 प्रीति पाठक पूर्व से नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत थी। फलस्वरूप इनके वेतन भत्ते आदि वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय होगें।

अतः इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(95)डीएमई / 16 दिनांक 15.02.2017 को तदनुसार संशोधित कर पढ़ा जावे। आदेश दिनांक 15.02.2017 का शेष विवरण यथावत रहेगा।

आज्ञा से

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी–निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को विभाग के पत्रांक एफ. 1(95)डीएमई / 16 दिनांक 15.02.2017 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज, कोटा को उनके पत्र क्रमांक 416 दिनांक 25.02.2017 के संदर्भ में।
6. डॉ0 प्रीति पाठक, वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी द्वारा मेडिकल कॉलेज कोटा।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव